कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–प0 534 /32–18, दिनांक, लखनऊ, मार्च, 09 2017।

सेवा में,

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषय:– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–197 के अन्तर्गत अधिसूचना।

महोदय,

अवगत कराना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2, सन् 1974) की धारा–197 से सम्बन्धित अधिसूचना विषयक शासकीय पत्र संख्या–2316/चौदह–3–16–700(61)/2013, दिनांक 30.11.2016, इस कार्यालय की पत्र संख्या–सु–165/20–1(धारा–197), दिनांक 07.12.2016 से परिचालित किया गया है।

कतिपय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त अधिसूचना उनके संज्ञान में नही है। पुनः अधिसूचना की छायाप्रति सूचनार्थ एवं इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि इसका संज्ञान/परिचालन अपने अधीनस्थों के मध्य करते हुये वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

9/3/17

(डा0 रूपक डे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

और विभागाध्यक्ष,

उ0प्र0, लखनऊ।

N-Letter.Docx

उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग–3

संख्या–2316/चौदह–3–16–700(61)/2013

लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2,सन् 1974) की धारा–197 की उपधारा–(3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निदेश देते है कि उक्त धारा की उपधारा (2) ऐसे वन अधिकारियों पर लागू होगी जिन्हें वन संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण, जब भी वे इस रूप में कार्य कर रहे हों, का प्रभार दिया जाय, मानों उक्त उपधारा में प्रयुक्त पद ''केन्द्रीय सरकार'' के स्थान पर पद ''राज्य सरकार'' रख दिये गये थे।

संजीव सरन

प्रमुख सचिव।

uo

संख्या–2316 (1)/चौदह–3–2016 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को हिन्दी एवं अंग्रेजी की 02 अतिरिक्त प्रतियों एवं सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिनियम को आगामी राजपत्र के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–(क) (सामान्य परिनियम नियम) को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित करने एवं उसकी 500 प्रतियाँ वन अनुभाग–3 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. कार्मिक अनुभाग–1 को दो अतिरिक्त प्रतियों में।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक सु– 165 / 20–1(धारा–197) लखनऊ:दिनांक: दिसम्बर 07, 2016.

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश

5/12/2016

(डा0प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा सतर्कता एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।